रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 29] नई दिल्ली, जुलाई 31—अगस्त 6, 2016, शनिवार/श्रावण 9—श्रावण 15, 1938
No. 29] NEW DELHI, JULY 31—AUGUST 6, 2016, SATURDAY/SRAVANA 9—SRAVANA 15, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 163.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग स्वागत कर्ता और कनिष्ठ स्वागत अधिकारी भर्ती नियम, 1988 को, जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ स्वागत अधिकारी से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग में कनिष्ठ स्वागत अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग कनिष्ठ स्वागत अधिकारी, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2016 है।

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi, the 19th July, 2016

G.S.R. 164.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Minority Affairs, Typist (Urdu), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2015, namely :

1. (1) These rules may be called the Ministry of Minority Affairs, Typist (Urdu), Group 'C' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Minority Affairs, Typist (Urdu) Group 'C' Post Recruitment Rules, 2015, in the schedule, in the entry under column (11), for the words and letter "Group 'D' employees", the words and letter "Group 'C' employees", shall be substituted.

[F. No. A-12017/1/2015-Estt.]

K. D. SINGH, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 9, dated the 29th December, 2015.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2015

सा.का.नि. 165.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बी सी जी वैकसीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उसका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, के बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चैन्नई में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों को संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बैकिलस कालमेटे-गुएरिन वैक्सीन, प्रयोगशाला, गिंडी, चैन्नई, उच्च श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.-भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.-वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या

(ख)जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उच्च श्रेणी लिपिक	06* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1; 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	18-27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण** - 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अवधारित की जाएगी (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जा रही है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष, प्रोन्नत किए जाने वाले के लिए शून्य

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (66.33 प्रतिशत) (ii) सीधी भर्ती (33.63 प्रतिशत) **टिप्पण 1 :** संगठनों को अपनी आवश्यकता और पोषण वर्ग की संख्या को ध्यान में रखते हुए भर्ती की पद्धति उपदर्शित करना चाहिए। **टिप्पण 2 :** रिक्तियों के एक भाग को इस निमित सीमित विभागीय प्रतियोगी परिक्षा के आधार पर भरा जा सकेगा। विभागीय परिक्षां के लिए पात्रता सेवा संबंधित संगठन में अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा होगी।	1900 रु. के ग्रेड वेतन में आठ वर्ष की अनधिक नियमित सेवा रखने वाले अवर श्रेणी लिपिकों से प्रोन्नति **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह जब तक कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी— (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी या समतुल्य में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। (iii) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति वर्ग की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (iv) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। (v) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर बिस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) निदेशक, बैकिलस कालमेटे-गुएरिन वैक्सीन प्रयोगशाला - अध्यक्ष (ii) उप-निदेशक, बैकिलस कालमेटे-गुएरिन वैक्सीन प्रयोगशाला - सदस्य (iii) प्रशासनिक अधिकारी, बैकिलस कालमेटे-गुएरिन वैक्सीन प्रयोगशाला - सदस्य (iv) सहायक निदेशक, किंग इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु सरकार -सदस्य	लागू नहीं होता ।

[सं. ए-12034/03/2013-ईपीआई]

पी. के. मित्तल, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 19th March, 2015

G.S.R. 165.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, (Group 'C' posts), Recruitment Rules, 1981 in so far as they relate to the post of Upper Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Ministry of Health and Family Welfare, B. C. G. Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely :-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Bacillus Calmette-Guerin Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai Upper Division Clerk (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay Scale.-The number of said post, its classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.-No person,

(a) who has entered into contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that, the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection	Age-limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Upper Division Clerk	6* (2015) *Subject to variation depending on workload.	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Pay band-1, Rs. 5200-20200 Plus grade pay of Rs. 2400	Non-Selection	Between 18-27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years, in the case of general candidates and upto forty five years belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for reciept of applications)	Degree of a recognized University or equivalent

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruitment 'NIL' for promotees	(i) By promotion failing which by deputation (66.33 percent). (ii) Direct recruitment (33.63 percent). **Note1:**Organisations should indicate the methods of recruitment taking into account their needs and the strength in the feeder grade. **Note 2 :** A portion of the vacancies may also be filled by Limited Departmental Competitive Examination, in this regard. The eligibility service for the Departmental Examination shall be five years regular service in the Lower Division Clerk grade in the concerned organisation.	Promotion from Lower Division Clerks with not less than eight years regular service in the grade pay of Rs. 1900/-. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :** (i) Director, Bacillus Calmette-Guerin Vaccine Laboratory - Chairman (ii) Deputy Assistant Director, Bacillus Calmiette-Guerin Vaccine Laboratory - Member (iii) Administrative Officer, Bacillus Calmette-Guerin Vaccine Laboratory - Member (iv) Assistant Director, King Institute, Government of Tamilnadu - Member	Not applicable.

			January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation :** Officers of Central Government (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with eight years service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including the period of depuation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not		

			exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note** : For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of the pay into one grade with a common Grade Pay/Pay Scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any up gradation.		

[No. A-12034/03/2013-EPI]

P. K. MITTAL, Under Secy.